क्रम संख्या–115 पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, शुक्रवार, 23 दिसम्बर, 2022 ई0
पौष 02, 1944 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 365/XXXVI(3)/2022/64(1)/2022
देहरादून, 23 दिसम्बर, 2022

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन मा0 राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित 'उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2022' पर दिनांक 23 दिसम्बर, 2022 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्याः 20, वर्ष–2022 के रूप में सर्व–साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2022

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 20, वर्ष 2022)

उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 06 वर्ष 2017) को अग्रेत्तर संशोधित करने के लिए–

अधिनियम

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1.	(1) इस अधिनियमका संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन)अधिनियम, 2022 है । (2) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, (क) धारा 2 के खण्ड (क) के उपखण्ड (i)में उल्लिखित उपबन्ध दिनांक 01 जनवरी, 2022 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे; (ख) धारा 13 में उल्लिखित उपबन्ध दिनांक 05 जुलाई, 2022को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे; (ग) (धारा 2 के खण्ड (क) के उपखण्ड (i) को छोड़कर)धारा 2 से धारा12, धारा 14तथा धारा 15 मेंउल्लिखित उपबन्धदिनांक 01 अक्टूबर, 2022 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।
धारा 16 का संशोधन	2.	उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017(जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 16में,– (क) उपधारा 2 में,– (i) खण्ड (कक) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा; अर्थात्:– "(कक) खण्ड (क) में निर्दिष्ट बीजक या नामे नोट के ब्यौरे पूर्तिकार द्वारा बाह्य पूर्ति के विवरण में प्रस्तुत नहीं किए गए हैं और ऐसे ब्यौरे, धारा 37 के अधीन विनिर्दिष्ट रीति में ऐसे बीजक या नामे नोट के प्राप्तिकर्ता को संसूचित नहीं किए गए हैं;"। (ii) खण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा; अर्थात्:– "(खक) धारा 38 के अधीन ऐसें रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को संसूचित उक्त पूर्ति के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय का विवरण निर्बंधित किया गया है;" (iii) खण्ड (ग) में शब्द, अंक और अक्षर "या धारा 43क" का लोप किया जाएगा; (ख) उपधारा (4) में, "सितंबर मास के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी के दिये जाने की देय तारीख" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "30 नवम्बर" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

धारा 29 का संशोधन	3.	"मूल अधिनियम" की धारा 29 में, उपधारा (2) में,– (i) खण्ड (ख) में, "तीन क्रमवर्ती कर अवधियों तक विवरणी" शब्दों के स्थान पर, "वित्तीय वर्ष के लिए विवरणीउक्त विवरणी दाखिल किए जाने की देय तिथि से तीन माह के पश्चात् तक" शब्द रख दिये जाएंगे; (ii) खण्ड (ग) में, "लगातार छः माह की अवधि" शब्दों के स्थान पर, "ऐसी निरन्तर कर अवधि, जैसी विहित की जाए,"शब्द रख दिये जाएंगे।
धारा 34 का संशोधन	4.	"मूल अधिनियम" की धारा 34में, उपधारा (2) में, "सितंबर मास" शब्द के स्थान पर, "30 नवम्बर" अंकऔरशब्द रख दिये जाएंगे।
धारा 37का संशोधन	5.	"मूल अधिनियम" की धारा 37में,– (क) उपधारा (1) में,– (i)"इलेक्ट्रानिक रूप में", शब्दों के पश्चात्, "ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन और" शब्द जोड़ दिये जाएंगे; (ii) "उक्त पूर्तियों के प्राप्तिकर्ता को ऐसी समयावधि के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, संसूचित किये जाएंगे" शब्दों के स्थान पर, "उक्त पूर्तियों के प्राप्तिकर्ता को ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन, ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में जो विहित की जाए, संसूचित किये जाएंगे" शब्द रख दिये जाएंगे; (iii) पहले परन्तुक का लोप किया जाएगा; (iv) दूसरे परन्तुक में, "परन्तु यह और कि", शब्दों के स्थान पर, "परन्तु यह कि" शब्द रख दिये जाएंगे; (v) तीसरे परन्तुक में,"परन्तु यह और भी कि", शब्दों के स्थान पर, "परन्तु यह और कि" शब्द रख दिये जाएंगे; (ख) उपधारा (2) का लोप किया जाएगा; (ग) उपधारा (3) में, – (i)"और जो धारा 42 या धारा 43 के अधीन बे–मिलान रह गये हैं", शब्द और अंक का लोप कर दिया जाएगा; (ii)पहले परन्तुक में, "सितम्बर मास के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी देने", शब्दों और अंक के स्थान पर, "30 नवम्बर" शब्द और अंक रख दिए जाएंगे; (घ) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित कर दी जाएगी, अर्थात्:– "(4) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को किसी कर अवधि के लिए उपधारा (1) के अधीन जावक पूर्ति का विवरण दाखिल किया जाना अनुमन्य नहीं होगा, यदि उसके द्वारा किसी पूर्व कर अवधि के लिए जावक पूर्ति के विवरण दाखिल नहीं किये गये हैं: परन्तु यह कि सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा,ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन, जैसा कि उसमें विनिर्दिष्ट किया गया हो,

		किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग को उपधारा (1) के अधीन जावक पूर्ति का विवरण, यह होते हुए भी कि उसके द्वारा एक या अधिक पूर्व कर अवधियों के लिए जावक पूर्ति का विवरण दाखिल नहीं किया गया है, दाखिल किया जाना अनुमन्य कर सकती है।"।
धारा 38 का संशोधन	6.	"मूल अधिनियम" की धारा 38 के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित कर दी जाएगी, अर्थात्:– **"38. आवक पूर्ति और इनपुट कर प्रत्यय के विवरण की संसूचना–** (1) रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा धारा 37 की उपधारा (1) के अधीनदाखिल जावक पूर्ति के विवरण और ऐसी अन्य पूर्ति, जो विहित की जाए, और इनपुट कर प्रत्यय के विवरण वाले स्वतःसृजित विवरण ऐसी पूर्ति के प्राप्तिकर्ताओं को, ऐसे प्ररूप और रीति,ऐसे समय के भीतर और ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन, जैसा कि विहित की जाए, इलेक्ट्रॉनिकली उपलब्ध करायी जाएगी। (2) उपधारा (1) के अधीन स्वतः सृजित विवरण में निम्नलिखित सम्मिलित होंगेः– (क) आवक पूर्ति का विवरण, जिसके सम्बन्ध में इनपुट कर का प्रत्यय प्राप्तिकर्ता को उपलब्ध हो सकता है; और (ख) पूर्ति का विवरण, जिसके सम्बन्ध में,किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन दाखिल की गयी उक्त पूर्ति के विवरण के आधार पर, ऐसा प्रत्यय जो कि प्राप्तिकर्त्ता द्वारा भागतः या पूर्णतः उपयोजित नहीं किया जा सकता है,– (i)रजिस्ट्रेशन लिये जाने की ऐसी अवधि के भीतर, जैसा कि विहित किया जाए; या (ii) जिसने कर का संदाय करने में व्यतिक्रम किया हो और जहां ऐसा व्यतिक्रम ऐसी अवधि, जैसी कि विहित की जाए, के लिए जारी हो; या (iii) जिसके द्वारा ऐसी अवधि के दौरान, जैसी कि विहित की जाए, उक्त उपधारा के अन्तर्गत उसके द्वारा दाखिल जावक पूर्ति के विवरण के अनुसार देय आउटपुट करउक्त अवधि के दौरान उसके द्वारा संदत्त आउटपुट कर से ऐसी सीमा, जो कि विहित की जाए, से अधिक है; या (iv) जिसके द्वारा ऐसी अवधि के दौरान, जैसी कि विहित की जाए, उस धनराशि के इनपुट कर के प्रत्यय को उपयोजित किया है जो उस क्रेडिट से अधिक है जो उसके द्वारा खण्ड (क) के अनुसार उपयोजित किये जाने वाले प्रत्यय से ऐसी सीमा, जैसी कि विहित की जाए, से अधिक है; या (v) जिसने, ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन, धारा 49 की उपधारा (12) के प्रावधानों के अनुसार अपनी करदेयता के उन्मोचन में व्यतिक्रम किया है; या (vi) ऐसे अन्य व्यक्तियों के वर्ग, जो विहित किये जाएं।"।

धारा 39 का संशोधन	7.	"मूल अधिनियम" की धारा 39में, *(क) उपधारा (5) में, "20" अंक के स्थान पर, "13" अंक रख दिए जाएंगे;* (ख) उपधारा (7) में, पहले परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा, अर्थात्:– "परन्तु यह कि उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन विवरणी दाखिल करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति,सरकार को, ऐसे प्ररूप और रीति और ऐसे समय के भीतर, जैसा कि विहित किया जाए,– (क) एक माह के दौरान माल या सेवाओं या दोनों की आवक और जावक पूर्ति, उपयोजित इनपुट कर प्रत्यय, देय कर और ऐसे अन्य विवरणों को ध्यान में रखते हुए देय कर के बराबर धनराशि; या (ख) खण्ड (क) में संदर्भित धनराशि के स्थान पर ऐसी रीति और ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों के अधीन, जैसा कि विहित किया जाए, निर्धारित धनराशि, का संदाय करेगा।"; (ग) उपधारा (9) में,– (i) "धारा 37 और धारा 38 के उपबन्धों के अध्यधीन यदि" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "जहां" शब्द रख दिये जाएंगे; (ii) परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा; अर्थात्:– "परन्तु यह कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति, जिससे ऐसे ब्यौरे संबंधित हैं, के पश्चात् 30 नवम्बर या सुसंगत वार्षिक विवरणी देने की वास्तविक तारीख, जो भी पूर्ववर्ती हो, के पश्चात् किसी लोप या अशुद्ध विशिष्टियों का ऐसा सुधार अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।"; (घ) उपधारा (10) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित कर दी जाएगी; अर्थात्:– "(10) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को किसी कर अवधि के लिए कोई विवरणी देने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, यदि उसके द्वाराकिसी पूर्ववर्ती कर अवधि के लिए विवरणी अथवा उक्त कर अवधि के लिए धारा 37 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जावक पूर्ति का विवरण दाखिल नहीं किया गया है: परन्तु यह कि सरकार, परिषद की सफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों के अधीन, जो कि उसमें निर्दिष्ट की जा सकती है, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग को विवरणी दाखिल करने के लिए अनुज्ञात किया जा सकता है, यद्यपि उसके द्वारा एक या अधिक पूर्ववर्ती कर अवधि के लिए विवरणी दाखिल नहीं की गयी है या उक्त कर अवधि के लिए धारा 37 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जावक पूर्ति का विवरण दाखिल नहीं किया गया है।"

धारा 41 का संशोधन	8.	"मूल अधिनियम" की धारा 41 के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी; अर्थात्:- **"41. इनपुट कर प्रत्यय का लाभ–** (1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन जैसा कि विहित की जा सकती है, अपनी विवरणी में स्वतः निर्धारित रूप में अर्ह इनपुट कर के प्रत्यय को उपयोजित करने का हकदार होगा और ऐसी धनराशि उसके इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाते में जमा होगी। (2) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा उपधारा (1) के अधीनमाल या सेवाओं या दोनों की ऐसी पूर्ति,जिस पर देय कर का संदाय पूर्तिकार द्वारा नहीं किया गया है, के संबंध में उपयोजित इनपुट कर का प्रत्यय, उक्त व्यक्ति द्वारा ऐसी रीति जैसी कि विहित की जाए, लागू ब्याज सहित विलोमित किया जाएगा: परन्तु यह कि जहां पूर्वोक्त पूर्ति के संबंध में संदेय कर का भुगतान उक्त पूर्तिकार द्वारा कर दिया गया है, वहां उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उसके द्वारा विलोमित की गयी प्रत्यय की राशि को ऐसी रीति, जैसे कि विहित की जाए, में पुनर्उपयोजित कर सकता है।"
धारा 42, धारा 43 और धारा 43क का लोप	9.	"मूल अधिनियम" की धारा 42, धारा 43 और धारा 43कका लोप किया जाएगा।
धारा 47 का संशोधन	10.	"मूल अधिनियम" की धारा 47में, उपधारा (1) में, – (i) "या अन्तर्गामी" शब्दों का लोप किया जाएगा; (ii) "या धारा 38" शब्दों और अंकोंका लोप किया जाएगा; (iii) "धारा 39 या धारा 45" शब्दों और अंकों के पश्चात् "या धारा 52" शब्द और अंक अन्तःस्थापित किये जाएंगे।
धारा 48 का संशोधन	11.	"मूल अधिनियम" की धारा 48 में, उपधारा (2) में, "धारा 38 के अधीन अन्तर्गामी प्रदायों के ब्यौरे" शब्दों और अंक का लोप किया जाएगा।
धारा 49 का संशोधन	12.	"मूल अधिनियम" की धारा 49 में,– (क) उपधारा (2) में, "या धारा 43क" शब्द, अंक और अक्षर का लोप किया जाएगा; (ख) उपधारा (4) में, "और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए" शब्दों के स्थान पर, "और ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए" शब्द रख दिये जाएंगे; (ग) उपधारा (11) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:– "(12) इस अधिनियम में अन्य किसी बात के होते हुए भी, सरकार, परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन,इस

		अधिनियम या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन आउटपुट कर दायित्वकेऐसे अधिकतम अनुपात को निर्दिष्ट कर सकती है, जैसा कि विहित किया जाए,जो कि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति अथवा रजिस्ट्रीकृतव्यक्तियों के वर्ग के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाते के माध्यम से उन्मोचित किया जा सकता है।"
धारा 50 का संशोधन	13.	"मूल अधिनियम" की धारा 50में, उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित कर दीजाएगी और दिनांक 01 जुलाई, 2017 से प्रतिस्थापित की गयी समझी जाएगी, अर्थात्:– "(3)जहां इनपुट कर प्रत्यय त्रुटिपूर्ण ली गयी है और उपयोग की गयी है, रजिस्ट्रीकृतव्यक्ति ऐसे त्रुटिपूर्ण लिए गये और उपयोग किये गये इनपुट कर प्रत्यय पर ऐसे दर, जो चौबीस प्रतिशत से अनधिक होगी, जैसा सरकार द्वारा परिषद की सिफारिशों पर अधिसूचित किया जाए, ब्याज का संदाय करेगा और ब्याज की संगणना ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, की जाएगी।"
धारा 52 का संशोधन	14.	"मूल अधिनियम" की धारा 52 में, उपधारा (6) में, परन्तुक में, "सितंबर मास का विवरण प्रस्तुत करने के लिए सम्यक् तारीख" शब्दों के स्थान पर, "30 नवम्बर" अंकऔरशब्द रख दिए जाएंगें।
धारा 54 का संशोधन	15.	"मूल अधिनियम" की धारा 54 में,– (क) उपधारा (1) में, परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा, अर्थात्:– "परन्तु कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो धारा 49 की उपधारा (6) के उपबंधों के अनुसरण में इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में किसी शेष के प्रतिदाय का दावा करता है, वहऐसे प्रतिदाय का ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, दावा कर सकेगा।"। (ख) उपधारा (2) में, "छह मास", शब्दों के स्थान पर, "दो वर्ष" रख दिए जाएंगे; (ग) उपधारा (10) में, "उपधारा (3) के अधीन" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों का लोपकिया जाएगा; (घ) स्पष्टीकरण में, खण्ड (2) में, उपखण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित उपखण्ड अंतःस्थापित कर दिया जाएगा, अर्थात्– "(खक) विशेष आर्थिक क्षेत्र विकासकर्ता या विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाई को माल या सेवाओं या दोनो की शून्य दरीय पूर्ति के मामले में, जहां, यथास्थिति, ऐसी पूर्ति या ऐसी पूर्ति में प्रयुक्त इनपुट या इनपुट सेवाओं के संबंध में संदेय कर का प्रतिदाय उपलब्ध है, ऐसी पूर्ति के संबंध में धारा 39 के अधीन दाखिल विवरणी हेतु देय तारीख;"।

उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 146 के अधीन जारी अधिसूचना का भूतलक्षी रूप से संशोधन	16.	(1) राज्य सरकार द्वारा उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 146 के अधीन परिषद् की सिफारिशों पर जारी उत्तराखण्ड शासन, वित्त अनुभाग–8 की अधिसूचना संख्या120 / 2018 / 5(120) / XXVII(8) / 2017 / CT-9दिनांक 31 जनवरी, 2018को,प्रथम अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट रीति में उस अनुसूची के स्तंभ (3) में विहित तिथि को और से,संशोधित माना जाएगा और भूतलक्षी प्रभाव से संशोधित समझा जाएगा। (2) उपधारा (1) के प्रयोजनो के लिए राज्य सरकार में उक्त उपधारा में निर्दिष्ट अधिसूचना को संशोधित करने की शक्ति होगी और भूतलक्षी रूप से संशोधित करने की शक्ति समझी जाएगी जैसे कि राज्य सरकार को उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 146 के अधीन उक्त अधिसूचना को संशोधित करने की शक्ति सभी तात्विक समय पर थी।
उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (1) और (3), धारा 54 की उपधारा (12) तथा धारा 56 के अधीन जारी अधिसूचना का भूतलक्षी रूप से संशोधन	17.	(1) राज्य सरकार द्वारा उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 50 की उपधारा (1) और (3), धारा 54 की उपधारा (12) तथा धारा 56 के अधीन परिषद् की सिफारिशों पर जारी उत्तराखण्ड शासन, वित्त अनुभाग–8 की अधिसूचना संख्या 524 / 2017 / 9(120) / XXVII(8) / 2017दिनांक 29 जून, 2017को,दूसरी अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट रीति में उस अनुसूची के स्तंभ (3) में विहित तिथि को और से, संशोधित माना जाएगा और भूतलक्षी प्रभाव से संशोधित समझा जाएगा। (2) उपधारा (1) के प्रयोजनो के लिए राज्य सरकार में, उक्त उपधारा में निर्दिष्ट अधिसूचना को संशोधित करने की शक्ति होगी और भूतलक्षी रूप से संशोधित करने की शक्ति समझी जाएगी, जैसे कि राज्य सरकार को उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 50 की उपधारा (1) और (3), धारा 54 की उपधारा (12) तथा धारा 56 के अधीन उक्त अधिसूचना को संशोधित करने की शक्ति सभी तात्विक समय पर थी।
कतिपय मामलों में राज्य कर के उद्ग्रहण या संग्रहण से भूतलक्षी रूप से छूट	18.	(1) राज्य सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी उत्तराखण्ड शासन, वित्त अनुभाग–8 की अधिसूचना संख्या 514 / 2017 / 9(120) / XXVII(8) / 2017 दिनांक 29 जून, 2017 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, मत्स्य आहार (शीर्ष 2301 के अधीन आने वाला) के उत्पादन के दौरान सृजित अनपेक्षित, अपशिष्ट की पूर्ति, मत्स्य तेल को छोड़ कर, पर दिनांक 01 जुलाई, 2017 से आरम्भ तथा 30 सितम्बर, 2019 को समाप्त होने वाली अवधि (दोनों दिन सम्मिलित) के दौरान, कोई राज्य कर उद्ग्रहित या संग्रहित नहीं किया जायेगा। (2) ऐसे सभी कर का प्रतिदाय नहीं किया जाएगा, जिसका संग्रहण किया गया है, किन्तु उसका इस प्रकार संग्रहण नहीं किया जाता, यदि उपधारा (1) सभी तात्विक समय पर प्रवृत्त होती।

उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन जारी अधिसूचना का भूतलक्षी रूप से प्रभाव	19.	(1) उपधारा (2) के अधीन रहते हुए राज्य सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी उत्तराखण्ड शासन, वित्त अनुभाग–8 की अधिसूचना संख्या 956/2019/10(120)/XXVII(8)/2019/CTR-25दिनांक 14 नवम्बर, 2019 सभी प्रयोजनो के लिए, दिनांक 01 जुलाई, 2017 को और से,सदैव प्रवृत्त समझी जाएगी। (2) ऐसे सभी राज्य कर का प्रतिदाय नहीं किया जायेगा, जिसका संग्रहण किया गया है, किन्तु उसका इस प्रकार संग्रहण नहीं किया जाता, यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना सभी तात्विक समय पर प्रवृत्त होती।

पहली अनुसूची
[धारा 16 (1)देखें]

अधिसूचना संख्या और तारीख	संशोधन	संशोधन की प्रभावी तारीख
(1)	(2)	(3)
120 / 2018 / 5(120) / XXVII(8) / 2017 / CT-9 दिनांक 31 जनवरी, 2018	उक्त अधिसूचना के प्रस्तर 1 में, "विवरणियां प्रस्तुत करने और एकीकृत कर की संगणना तथा परिनिर्धारण" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्– "विवरणियां प्रस्तुत करने और एकीकृत कर की संगणना तथा तथा व्यवस्थापन और जैसा अधिसूचना संख्या 62 / 2020 / 3(120) / XXVII(8) / 2019 / CT-69दिनांक 17 जनवरी, 2020 में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 के अधीन उपबन्धित सभी कृत्य।"।	22 जून, 2017

दूसरी अनुसूची
[धारा 17 (1) देखें]

अधिसूचना संख्या और तारीख	संशोधन	संशोधन की प्रभावी तारीख
(1)	(2)	(3)
524 / 2017 / 9(120) / XXVII (8) / 2017 दिनांक 29 जून, 2017	उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम संख्या 2 के सापेक्ष, स्तंभ (3) में, "24" अंकों के स्थान पर, "18" अंक रखे जाएंगे।	1 जुलाई, 2017

आज्ञा से,

हीरा सिंह बोनाल,
प्रमुख सचिव।

कारण एवं उद्देश्यों का कथन

राज्य सरकार द्वारा उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017, माल या सेवाओं या दोनों की अंतःराज्यीय पूर्ति पर कर के उद्ग्रहण और संग्रहण के लिए और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए प्रख्यापित किया गया है।

2. प्रस्तावित संशोधन व्यापार सुविधा और सरलीकरण उपायों से संबंधित हैं। इन संशोधनों का उद्देश्य जीएसटी कानून को सरल बनाना और व्यवसायियों की सुविधा सुनिश्चित करना है। अग्रेत्तर कतिपय ऐसे परिवर्तन भी प्रस्तावित हैं जिनका उद्देश्य करदाताओं से अनुपालन सुनिश्चित करवाना है।

3. उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में संशोधन अपेक्षित है।

4. प्रस्तावित विधेयक उक्त उद्देश्यों की पूर्ति करता है।

प्रेम चन्द अग्रवाल
वित्त मंत्री